


हिमाचल प्रदेश सरकार



निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन  
हिमाचल प्रदेश शिमला - 171002

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2020 - 2021

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन  
हिमाचल प्रदेश शिमला-171002

अनुक्रमणी

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	01
2.	कर्मचारियों की स्थिति	01-05
3.	हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना	05-10
4.	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन सोसाईटी	10
5.	औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945.	11-12
6.	खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006	12-14
7.	संयुक्त जांच प्रयोगशाला (सी0टी0एल0) कण्डाघाट	14-15
8.	गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.	15-16
9.	सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य) अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30-5-2008 को बनाए गए नियम को लागू करना।	17-18
10.	हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम।	18-19
11.	निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्प्लॉयमेंट।	19
12.	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995.	19-20
13.	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	20-21
14.	परमाणु उर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962.	21
15.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	21-22

**वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-2021**  
**निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन**  
**हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002**

**1. परिचय :**

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या हैल्थ-ए-बी (12)1/2002 दिनांक 1 जून, 2009 के अनुसार एक अलग स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों/नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह निदेशालय निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों का कार्य संचालन कर रहा है:-

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
2. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मेटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945
3. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006
4. संयुक्त जांच प्रयोगशाला, (सी0टी0एल0) कण्डाघाट
5. गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
6. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30-5-2008 को बनाए गए नियम को लागू करना)
7. हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम
8. निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम, 1988
10. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995
11. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
12. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971

**2. कर्मचारियों की स्थिति.**—निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् विनियमन में श्रेणीदार कर्मचारियों की स्थिति वर्ष 2020-2021 दिनांक 31-03-2021 तक निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	निदेशक	1	1	-	
2.	ओ.एस.डी.	2	2		
3.	विकिरण सुरक्षा अधिकारी।	1	1	-	यह पद अतिरिक्त कार्यभार से भरा गया है। यह पद निदेशालय मेडिकल ऐजुकेशन डी. एच. डी. में सृजित था तथा गलती से इस निदेशालय के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था। लेकिन अब यह पद आई.जी.एम.सी. में भर लिया गया है इसलिए डी.एच.एस. आर. ने इस पद के सुलभ हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	मरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
4.	सहायक औषधि नियंत्रक।	1	1	-	-
5.	विधि अधिकारी	1	1	-	-
6.	सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	1	1	-	-
7.	अधीक्षक श्रेणी-II	2	2	-	-
8.	वरिष्ठ सहायक	2	2	-	-
9.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	5	4	1	-
10.	चालक	1	1	-	कर्मचारी दैनिक आधार पर कार्यरत है
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4	1	दो पद पर स्थाई कर्मचारी हैं, दो पद पर आऊटसोर्स कर्मचारी हैं।

औषधि नियंत्रकों बंदी के कार्यालय में पदों व कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	मरे हुए पद	रिक्त पद
1.	औषधि नियंत्रक	1	1	-
2.	उप औषधि नियंत्रक	1	1	-
3.	सहायक औषधि नियंत्रक।	2	2	-
4.	औषधि निरीक्षक	12	9	3
5.	डिप्टी गवर्नमेंट ऐनालिस्ट।	2	2	सरकार के आदेशानुसार (डिप्टी गवर्नमेंट ऐनालिस्ट सी0टी0एल0 कंडाघाट में कार्य कर रहे हैं)।
6.	अधीक्षक Grade-II	1	1	-
7.	वरिष्ठ सहायक	3	3	-
8.	कनिष्ठ सहायक/ लिपिक।	6	4	2
9.	सेवादार	1	2	(1 सरप्लस)

राज्य में सहायक औद्योगिक नियन्त्रकों की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन।	1	1	-
2.	मण्डी	1	1	यह पद निदेशालय (निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन) में भरा गया है तथा वेतन मण्डी से आहरित किया जा रहा है।
3.	धर्मशाला	1	1	-
4.	नादौन	1	1	-
5.	बददी	2	2	-
	कुल	6	6	-

राज्य में औद्योगिक निरीक्षकों की संस्थान वार सूची निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	शिमला	शिमला	2	2	-
		रोहडू	1	1	-
2.	सोलन	सोलन	2	2	-
		अर्की	1	-	1
		परवाणु	1	1	-
3.	बददी	बददी	12	9	3
4.	मण्डी	मण्डी	2	2	-
		सरकाघाट	1	-	1
		सुन्दरनगर	1	1	-
5.	बिलासपुर	बिलासपुर	2	1	1
		घुमारवीं	1	1	-
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	-
		नादौन	1	1	-
7.	कांगड़ा	धर्मशाला	1	1	-
		देहरा	1	1	-
		नूरपुर	1	1	-
		कांगड़ा	1	-	1
		संसारपुर टैरेस	1	-	1
		पालमपुर	1	1	-

क्रम संख्या	जिले का नाम	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
8.	ऊना	ऊना	2	2	-
		अम्ब	1	-	-
9.	कुल्लू	कुल्लू	1	-	1
10.	चम्बा	चम्बा	1	1	-
11.	सिरमौर	नाहन	2	1	1
		पौंटा साहिब	2	1	1
12.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	-
	योग..		44	32	12

राज्य में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की संस्थान वार सूची निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	सोलन	सोलन	1	1	-
2.	ऊना	ऊना	1	1	-
3.	शिमला	शिमला	1	1	-
4.	कांगड़ा	कांगड़ा	1	1	-
5.	कुल्लू/ लाहौल स्पीति	कुल्लू	1	1	-
6.	सिरमौर	सिरमौर	1	1	-
7.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	-
8.	चम्बा	चम्बा	1	1	-
9.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	-
10.	मण्डी	मण्डी	1	1	-
11.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	1	-
12.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन।	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन।	1	1	-
	कुल..		12	12	-

15। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	मरे हुए पद	रिक्त उद
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	1	-
2.	चम्बा	चम्बा	1	1	-
3.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	-
4.	कांगड़ा	कांगड़ा (धर्मशाला)	4	2	2
5.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	-
6.	कुल्लू और लाहौल स्पीति	कुल्लू	2	2	-
7.	मण्डी	मण्डी	3	2	1
8.	शिमला	शिमला	3	2	1
9.	सिरमौर	सिरमौर (ताहन)	2	1	1
10.	सोलन	सोलन	3	2	1
11.	ऊना	ऊना	1	1	-
	कुल..		22	16	6

### 3. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्य का ब्यौरा :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और सामाजिक नीति के आधार पर जोखिम को कवर करने का एक तरीका है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जून, 1977 के दौरान शुरू की गई थी और बीमाकृत व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

#### कवरेज

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम 1948 की धारा 2(12) के तहत, यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कारखानों पर लागू होता है चाहे विनिर्माण की प्रक्रिया में बिजली का उपयोग किया जाए या नहीं। अधिनियम की धारा 1(5) के अनुसार उक्त योजना को 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमाघरों, थियेटरों, सड़क मोटर परिवहन उपकरणों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों व सिनेमाघरों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना को कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली निजी चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कवरेज के लिए मौजूदा मजदूरी सीमा 21,000/- प्रति माह है।

#### योगदान

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके नियोक्ता द्वारा किए जा रहे योगदान पर आधारित है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है, तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभ के लिए कर्मचारी द्वारा वेतन का 01-07-2019 से 0.75% अंशदान किया जाता है तथा उसके नियोक्ता द्वारा वेतन का 3.25% अंशदान किया जाता है।

## हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वास्थ्य-ए-(5) 1/04 दिनांक 05-08-2009 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रदेश में ESI Society के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उक्त सोसाईटी, सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दिनांक 30-11-2009 द्वारा पंजीकृत की गई थी व सोसाईटी ने दिनांक 01-04-2010 में काम करना शुरू कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग में बीमित व्यक्तियों और सेवाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स किया जाता है। नियमित आधार पर स्वीकृत पोस्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को आगे दर्शाया गया है।

### हिमाचल में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान :

31-03-2021 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 3,48,140 बीमाकृत व्यक्ति पंजीकृत हैं, जिन्हें निम्न अस्पताल/औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा प्रदान की जा रही है-

अनुक्रमांक	जिला	अस्पताल/औषधालय
1.	सोलन	ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणू
2.		सी0एच0सी0 दाड़लाघाट
3.		पी0एच0सी0 कसौली
4.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बददी
5.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बरोटीवाला
6.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी नालागढ़
7.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी जाबली
8.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी चंबाघाट
9.		ऊना
10.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी टाहलीवाल	
11.	ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट	
12.	सिरमौर	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी एमसीएम पटिलियन (पांवटा साहिब)
13.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी गोंदपुर ( पांवटा साहिब)
14.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी काला अम्ब
15.	शिमला	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शिमला
16.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शोधी
17.	कांगडा	पी0एच0सी0 संसारपुर टैरेस
18.	बिलासपुर	पी0एच0सी0 पंजगाई



वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ई0एस0आई0 अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में ओ0पी0डी0-  
वार विवरण निम्न प्रकार से है :-

अनुक्रमांक	ई0एस0आई0 संस्थान का नाम	संस्थान का नाम	ई0एस0आई0	गैर ई0एस0आई0	कुल
1.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी काला अंब, जिला सिरमौर		22494	7	22501
2.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी एमसीएम पतलियां, जिला सिरमौर।		17686	—	17686
3.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी गोंदपुर, जिला सिरमौर		15889	—	15889
4.	ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट, जिला ऊना		7440	35063	42503
5.	ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणू, जिला सोलन		34469	20359	54828
6.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शिमला, जिला शिमला		3169	—	3169
7.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शोधी, जिला शिमला		222	20157	20379
8.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी टाहलीवाल, जिला ऊना		14080	218	14298
9.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बरोटीवाला, जिला सोलन		40549	300	40849
10.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी दाड़लाघाट, जिला सोलन		492	11464	11956
11.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बददी (भुड), जिला सोलन		23818	1847	25665
12.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी नालागढ़, जिला सोलन		17171	—	17171
13.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी कसौली, जिला सोलन		1156	7639	8795
14.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी चंबाघाट, जिला सोलन		6903	7196	14099
15.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी जाबली, जिला सोलन		5431	4367	9798
16.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी मेहतपुर, जिला ऊना		21298	745	22043
17.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी पंजगाई, जिला बिलासपुर		1957	14911	16868
18.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी संसारपुर टैरेस, जिला कांगड़ा।		3489	6259	9748
	<b>योग..</b>		<b>237713</b>	<b>130532</b>	<b>368245</b>

## माध्यमिक देखभाल के लिए एम्प्लॉयमेंट अस्पताल

राज्य में ई0एस0आई0 योजना / स्कीम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए बीमित व्यक्तियों व उनके आश्रितों को माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के अन्दर 13 अस्पतालों को मान्यता दी गई है और प्रदेश से बाहर 24 अस्पतालों को मान्यता दी गई है। एम्प्लॉयमेंट किए गए स्वास्थ्य संस्थानों की सूची वेबसाइट <http://www.hp.gov.in> पर उपलब्ध है।

राज्य बीमा संस्थान की समेकित स्टाफ स्थिति 31-03-2021 तक निम्न प्रकार से है :

अनुक्रमांक	श्रेणियों का नाम	स्वीकृत पोस्ट	स्थिति में	रिक्त	रिक्त विवरण
1.	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)।	1	1	0	
2.	चिकित्सा अधिकारी	40	36	4	दाड़लाघाट 1, पंजगाई 1, बददी 1, एमसीएम 1
3.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी।	0	1	0	Secondment basis
4.	दंत चिकित्सा अधिकारी	6	6	0	
5.	परिचारिका	25	23	2	शोधी 1, पंजगाई 1
6.	वार्ड सिरदर	4	4	0	
7.	डीएसएन	3	0	3	परवाणु 3
8.	फार्मासिस्ट	28	21	7	बददी 1, कसौली 1, काला अंब 2, शिमला 2, एम0सी0एम0 1
9.	मुख्य फार्मासिस्ट	2	2	0	
10.	एफएचडब्ल्यू/एएनएम	16	9	7	बददी, परवाणु 2, पंजगाई, दाड़लाघाट, बरोटीवाला, मेहतपुर
11.	एफ0 एच0 एस0	4	2	2	दाड़लाघाट 1, पंजगाई 1
12.	दंत स्वास्थ्यक	3	3	0	
13.	दंत मैकेनिक	2	1	1	टाहलीवाल
14.	एम0 एच0 एस0	3	2	1	दाड़लाघाट
15.	एम0 एच0 डब्ल्यू	2	0	2	दाड़लाघाट, पंजगाई
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन	7	4	3	बददी, एम0सी0एम0, गगरेट
17.	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0	
18.	रेडियोग्राफर	5	3	2	गगरेट 2
19.	Ophthalmic Officer	3	1	2	गगरेट 2
20.	स्वास्थ्य शिक्षक	1	1	0	-
21.	चालक	5	2	3	गगरेट 1, दाड़लाघाट 1, पंजगाई 1
22.	लिपिक	14	6	8	शिमला 1, टाहलीवाल 1, गगरेट 2, गोदपुर 1, काला अंब 1, पंचगाई 2
23.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0	
24.	रसोइया	1	0	1	गगरेट
25.	शल्य चिकित्सा सहायक।	2	0	2	पंजगाई, गगरेट
26.	चतुर्थ श्रेणी	48	23	27	संसारपुर टैरेस 1, परवाणु 5, गगरेट 17, टाहलीवाल 1, जाबली 1, शोधी 1, पंजगाई (1 सरपल्स नालागढ़) (1 सरपल्स गोंदपुर)

अनुक्रमांक	श्रेणियों का नाम	स्वीकृत पोस्ट	स्थिति में	रिक्त	रिक्त विवरण
27.	सफाई कर्मचारी	21	8	13	बददी 2, नालागढ़ 1, पंजगाई 2, टाहलीवाल 1, काला अम्ब 1, संसारपुर टैरेस 1, गगरेट 2, गोंदपुर 1, 1 चंबाघाट, Mehatpur 1
28.	दाई	4	3	1	
29.	स्ट्रेचर ब्वाय	2	0	2	परवाणू
30.	वाई ब्वाय	1	0	1	शिमला
31.	चौकीदार	1	0	1	शिमला
32.	माली / चौकीदार	1	0	1	गगरेट
33.	ड्रेसर	2	0	2	गोंदपुर
	कुल	260	165	98	एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परवाणू में Secondment पर है। दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नालागढ़ और गोंदपुर में सरपल्स हैं।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में कार्यरत आऊटसोर्स की जनशक्ति स्थिति 1-4-20 से 31-3-2021 तक निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	प्रोग्रामर	जनशक्ति
1.	परिचारिका	23
2.	लैब तकनीशियन	11
3.	फार्मासिस्ट	15
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	15
5.	डीईओ	33
6.	रसोइया	2
7.	ऑपरेशन थिएटर सहायक	2
8.	डार्क रूम सहायक	1
9.	सेवादार	8
10.	रेडियोग्राफर	1
11.	स्ट्रेचर ब्वाय	2
12.	प्रोग्रामर	1
	कुल योग..	116

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ई0एस0आई0सी0 द्वारा बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु मु0 52,75,45,556/- रुपये की राशि जारी की गई, जिसके विरुद्ध बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं देने पर कुल 54,11,78,918/- रुपये का व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	वेतन- नियमित कर्मचारी-15,31,46,558/ वेतन-आऊटसोर्स स्टाफ- 2,21,99,560/-	17,53,46,118
2.	उपकरणों की खरीद	-
3.	फर्नीचर	-
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,94,45,174
5.	दवाओं की खरीद	16,39,43,040
6.	आईपी के एमआर दावे और सूचीबद्ध अस्पताल का भुगतान	18,24,44,586
	<b>कुल योग..</b>	<b>54,11,78,918</b>

#### 4. हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसायटी

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य एच0एफ0डब्ल्यू-बी0(एफ)1-1/2008-(लूज) के अन्तर्गत हि0 प्र0 स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसायटी का संचालन किया जा रहा है। यह सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दिनांक 5-12-2012 को पंजीकृत की गई है तथा उक्त सोसायटी ने दिनांक 1-2-2013 से काम करना शुरु कर दिया है। यह सोसायटी स्वास्थ्य सुरक्षा से सम्बंधित अधिनियमों के कार्यान्वयन को सुचारु रूप से चलाने हेतु बनाई गई है।

इस सोसायटी के अधीन राज्य मुख्यालय/ज़िला मुख्यालयों में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत व संयुक्त प्रशिक्षण प्रयोगशाला कन्डाघाट में कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे गये हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (अकाउंट्स)	02
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	63
3.	फूड एनालिस्ट	02
4.	अटेंडेंट	02
5.	ड्राइवर	02
6.	सेवादार	12
7.	सफाई कर्मचारी	01

5. वर्ष 2022-23 के दौरान औषधि एवं प्रसाधन (कॉस्मेटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम 1945 के अन्तर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

औषधि एवं प्रसाधन (कॉस्मेटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम 1945 भारत सरकार का अधिनियम है। इस अधिनियम से संबंधित प्रकरण को अन्त में लाना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है इसके अतिरिक्त निम्न अधिनियमों का परिपालन भी इसी नियम द्वारा किया जाता है।

1. दवाओं की कीमत नियंत्रण अधिनियम, 2013 (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

2. द्रुम एवं कालकारी अथवा (अपलिजिनक विज्ञापन) अधिनियम, 1948

(क) विनियम प्रकाश में औषधि नियंत्रक का एक पद स्वीकृत है जो भरा हुआ है।

(ख) उप-औषधि नियंत्रक का एक पद स्वीकृत है जो भरा हुआ है।

(ग) विनियम प्रकाश में स्वास्थ्य औषधि नियंत्रक के 6 पदों के विरुद्ध-1 डी०एच०एस०आर, 1 मडी, 1 कागद, 1 गालन व 2 औषधि नियंत्रक कार्यालय बंदी में कार्यरत है।

(घ) विनियम प्रकाश में औषधि नियंत्रक के 44 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 26 औषधि निरीक्षक-सी०एच०एस०आर, अतिरिक्त विनियम-1, सोलन-2, मंडी-1, हमीरपुर-1, ऊना-2, कुल्लू-1, काग-1, गालन-2 औषधि नियंत्रक कार्यालय बंदी-6, सी०एच० सुंदरनगर-1, सी०एच० नुगु-1, सी०एच० जलपुत्र-1, सी०एच० पोंटा साहिब-1, सरकाघाट-1, धर्मशाला-1, बिलगु-1, सी०एच० अतिरिक्त दुन्दरवी-1, सी०एम०ओ० ऑफिस किन्नौर-1।

प्रगति रिपोर्ट: वित्तिय वर्ष 2022-23 में की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

राज्य में औषधि के लिए गए नमूनों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1.	लिए गए नमूनों की संख्या	2839
2.	परिक्षण किए गए नमूनों की संख्या	1995
3.	उप मानक नमूनों की संख्या	25
4.	नकली उपर गए नमूनों की संख्या	26
5.	अभियोजन पत्र की संख्या	53
6.	निरीक्षण	
	(क) स्थानीय परिसर	3574
	(ख) विनिर्माण परिसर	1343
7.	अदालत में लंबित मामलों की कुल संख्या	555

वर्ष 2020-21 के दौरान दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	विवरण	संख्या
1.	जारी किये गए खुदरा लाइसेंस की संख्या (फॉर्म 20 और 21)	327
2.	थोक लाइसेंस की संख्या (फॉर्म 20बी और 21बी )	387
3.	जारी किये गए प्रतिबन्धित खुदरा लाइसेंस की संख्या : (फॉर्म 20ए और 21ए)	02
4.	विनिर्माण की संख्या (फॉर्म 25 और 28)	41
5.	ऋण दवा निर्मित लाइसेंस की संख्या (फॉर्म 25ए और 28ए)	145
6.	ऋण दवा निर्मित लाइसेंस की संख्या (फॉर्म 25 ए और 28ए)	00
7.	दिए गए लाइसेंस को पुनर्स्थापित करने की संख्या (फॉर्म 25 बी)	00
	1. निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	20
	(क) विनिर्माण परिसर : (अधिनियम के उल्लंघन के कारण) और 08 (स्वयं का अनुरोध)	
	(ख) बिक्री परिसर :	103

6. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 :

भारत वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 के रिपील होने के उपरान्त दिनांक 5-8-2011 से खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें 101 धाराएं (Sections) हैं तथा 2 अनुसूचियां (Schedules) हैं।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 :-



हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु बंधों को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :-

**Regulatory Enforcement in the State of H.P.**



हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु बंधों को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :-

1. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18-8-2011 द्वारा Principal Secretary (Health) to the Govt. of H.P. को Commissioner of Food Safety अधिसूचित किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18-8-2011 द्वारा Director Health Safety & Regulation को Joint Commissioner (Food Safety), Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18-8-2011 द्वारा ADMs को Adjudicating Officer under Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18-8-2011 द्वारा सभी जिलों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को Food Safety Officer अधिसूचित कर दिया गया है।
5. अधिसूचना संख्या Health-A-B(1)-9/2006-Loose dated 03-11-2018 द्वारा Sh. Ripu Daman Kumar, Senior Scientist, CTL Kandaghat को Food Analyst अधिसूचित किया गया है।

**संचालन-**प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवम् इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को प्रदेश में सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पदाभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उक्त अधिनियम को लागू करने एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं

कि उक्त अधिनियम को प्रदेश में सूचारु रूप से चलाने के लिए खाद्य व्यापार संचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि फूड संपटी स्टैंडर्ड ऐक्ट, 2006 को सूचारु रूप से लागू किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे जाएं जिन में अपमिश्रित होने का अन्देश हो, नमूने के अपमिश्रित पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया जाए तथा उन्हें न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की सिफारिश की जाए।

प्रदेश में खाद्य व्यापार संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन लाईसेंस तथा पंजीकरण सुविधा प्रारम्भ की गई है, जिससे की खाद्य व्यापारी सीधे ही खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की वेबसाइट [www.fssai.gov.in](http://www.fssai.gov.in) पर जा कर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

क्रम सं०	विवरण	संख्या
1.	एकत्रित किए गए कुल नमूनों की संख्या	2004
2.	जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या	1923
3.	उप-मानक पाए गए कुल नमूनों की संख्या	71
4.	दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामले (2020-21)	4
5.	सजायुक्त (कनविक्शन) मामले	5
6.	खाद्य व्यापार संचालकों की पंजीकरण संख्या	11719
7.	खाद्य व्यापार संचालकों की लाईसेंस संख्या	1868

#### 7. संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट:-

संयुक्त जांच प्रयोगशाला की स्थापना अलग-अलग अधिनियमों के तहत एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन करने के लिए किया गया है। इस प्रयोगशाला को विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी विभागों के खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग, स्टेट सिविल स्पलाईज इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन किया जाता है।

वर्ष 2020-21 में एकत्रित किए गए नमूनों व उनके आंकलन का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	आंकलित नमूनों की संख्या	शेष नमूने
1.	9475	9128	347

संयुक्त जांच प्रयोगशाला, कण्डाघाट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक और विशेष एवं सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रयोगशाला के खाद्य अनुभाग की खाद्य वस्तुओं/नमूनों की जांच की विश्लेषण रिपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य रहेगी। "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्ययान बोर्ड" (NABL) ने हाल ही में संयुक्त जांच प्रयोगशाला के "प्रत्यापन प्रमाण-पत्र" संख्या IC-9547 से नवाजा है जो कि यह के खाद्य नमूनों के परीक्षण एवं इस से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रणाली के गुणवत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर अब्बल उतरने पर दिया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग हिमाचल प्रदेश व साथ-साथ समस्त हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरवमय उपलब्धि है।



संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट के कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमावर्स
1.	पब्लिक एनालिस्ट-कम-कैमिकल एग्जामिनर	1	0	1	-
2.	डिप्टी पब्लिक एनालिस्ट	1	0	1	-
3.	डिप्टी गवर्नमेंट एनालिस्ट	1	1	0	-
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक	5	4	1	(2 अनुबंध)
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	4	4	0	(4 आऊटसोर्स)
6.	वरिष्ठ विश्लेषक	7	5	2	(4 आऊटसोर्स)
7.	कनिष्ठ विश्लेषक	6	6	0	(6 आऊटसोर्स)
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला टेक्निशियन	6	2	4	
9.	अधीक्षक ग्रेड-2	1	1	0	-
10.	वरिष्ठ सहायक	5	4	1	-
11.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	4	2	2	-
12.	चालक	1	1	0	-
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	2	3	(एक दैनिक आधार पर काम कर रहा है)
14.	चौकीदार	2	2	0	-
15.	सफाई कर्मचारी	2	2	0	(1 आऊटसोर्स)
	कुल..	51	36	15	

8. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम एवम् नियम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

- राज्य में 31-03-2021 तक 439 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पंजीकृत हैं, जिन में से 104 सरकारी व 335 निजी क्लीनिक हैं।
- सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की नियमित जांच करने के लिये प्राधिकृत किया है। हर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लीनिक की कम से कम तीन महीनों में एक जांच सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह-जिला उपयुक्त प्राधिकारी के लिये अनिवार्य है।
- राज्य स्तर पर, राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, समुचित प्राधिकारी व राज्य सलाहकार समितियां तथा जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी, जिला सलाहकार समितियां जिनकी बैठकें अधिनियम के अनुसार समय-समय पर की जा रही हैं।
- जिला एपरोप्रिएट एथोरिटी द्वारा वर्ष 2020-2021 में (1611 निरीक्षण दौरे किये हैं)। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने हेतु अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के मालिकों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं।

- वर्ष 2020-21 में राज्य में 01 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का पंजीकरण रद्द, एवम् 01 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का पंजीकरण निलम्बित किया गया।
- केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात असमानता की गंभीरता को देखते हुए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नौ जिलों को शामिल किया है।
- राज्य में इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेटी को बढ़ावा देने हेतु दम्पति को एक व दो लड़कियों के होने के उपरान्त नसबन्दी/नलबन्दी करवाने पर क्रमशः रुपये 35000/- व रुपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।



- कन्या भ्रूणहत्या की जांच करने वाले क्लिनिकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि रुपये 10,000/- से बढ़ाकर रुपये 1,00,000/- कर दी गई है। ऐसे मुखबिरो की पहचान को गुप्त रखा जाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं Fin(c)A(3)-7/2003 dated 04-04-2012 द्वारा लिंगानुपात को सुधारने हेतु बेटी है अनमोल कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को एक या दो बेटियों पर नसबन्दी/नलबन्दी करवाने पर दो विशेष वेतन वृद्धि का प्रावधान किया है।
- विभाग की वेबसाइट पर जिलावार अल्ट्रासाउंड मशीनों की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाती है। राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।
- राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।

9. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापक रूप से बहिष्कार, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम

- राज्य में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacco Control Programme) को कार्यान्वयन स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया जाता है।
- धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके अतिरिक्त एंटी तम्बाकू जागरूकता व तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (COTPA) हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- COTPA कानून के तहत तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य ने राज्य व जिला स्तरीय समितियाँ अधिसूचित की गई हैं जो समय-समय पर इन कार्यक्रमों व कानूनों का विश्लेषण करते हैं।
- धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध) के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रदेश के सभी विभागों में सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में सबसे सरल व प्रभावी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
- हर वर्ष 31 मई को राज्य में "World No Tobacco Day" मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाकर तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से IEC गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। प्रदेश भर के लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक पोस्टरों, रेडियो पर विज्ञापन तथा नुकड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है तथा समस्त सार्वजनिक संस्थानों के प्रभारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार धूम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं, और उल्लंघन करने पर कार्रवाई हेतु भी अधिकृत किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।



इस स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है।  
उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

COTPA कि धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध और समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों एवं प्रशासन शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

- सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट के विक्रय पर अधिसूचना पत्र संख्या 17880-7374/2015 दिनांक 04-11-2015 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया।
- शैक्षणिक संस्थानों व व्यवसायिक स्थानों के सूचनार्थ (शैक्षणिक संस्थानों की ओर 100 गज के दायरे में) तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।

**Reports of Violations of COTPA 2003 in H.P. (2018-19 to 2020-2021) (three years)**

No. of violations reported for the financial years	Total Challans	Fine collected In Lacs
2018-19	56936	50.54
2019-20	48107	43.91
2020-21	43695	44.22

**10. हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010:**

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-08-2012 के अन्तर्गत क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 का 23) को राज्य में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी व गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अस्थाई रूप से पंजीकरण का कार्य केवल ऑनलाईन तरीके से ही किया जा रहा है।

प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक 13594 सरकारी व गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अस्थाई रूप से पंजीकृत कर दिया गया है तथा कुल 1.71 लाख की राशि गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है।

अस्थाई रूप से पंजीकृत किए गए सरकारी व गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

S. No.	District	Allopathy	Ayurveda	Unani	Siddha	Homeo-pathy	Yoga	Naturo-pathy	Sowa-Rigpa	Total
1.	Chamba	362	145	1	1	13	3	8	0	533
2.	Kangra	1630	1130	43	11	129	84	91	21	3139
3.	Lahaul & Spiti	70	13	0	0	0	0	0	6	89
4.	Kullu	481	218	18	8	19	19	11	2	776
5.	Mandi	949	535	7	2	22	14	7	1	1537
6.	Hamirpur	953	631	30	0	111	7	18	1	1751

घने पर पूर्ण  
परे में तंबाकू  
रने वालों के

374/2015

00 गज के

ree years)

S. No.	District	Allopathy	Ayurveda	Unani	Siddha	Homeo- pathy	Yoga	Nature- pathy	Sowa- Rigpa	Total
7.	Una	696	478	110	20	57	16	17	0	1394
8.	Bilaspur	382	186	3	2	13	9	6	0	601
9.	Solan	639	424	24	3	83	27	22	4	1226
10.	Sirmaur	591	350	10	0	13	3	3	0	970
11.	Shimla	921	325	6	0	41	16	10	0	1319
12.	Kinnaur	131	119	0	0	4	3	1	1	259
<b>Total ..</b>		<b>7805</b>	<b>4554</b>	<b>252</b>	<b>47</b>	<b>505</b>	<b>201</b>	<b>194</b>	<b>36</b>	<b>13594</b>

### 11. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्प्लॉयमेंट बारे:

हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पेंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश के अन्दर कुल 21 निजी अस्पतालों को तथा प्रदेश से बाहर कुल 25 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है। सभी अस्पतालों के साथ करार किया गया है कि ये अस्पताल हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पेंशनरों का इलाज अधिसूचना संख्या:एच0एच0डब्ल्यू0बी0(एफ) 1-1-2008, दिनांक 21-06-2008 तथा अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0बी0(एफ) 8-1/2003, (आई/एन), दिनांक 13-02-2013 के द्वारा अनुमोदित की गई दिशा-निर्देशों पर इलाज करेंगे। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 5,90,000/- की राशि निरीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई जिसे सरकारी कोष में जमा करा दिया गया है। तथा सिंगल विंडो एम्प्लॉयमेंट के तहत प्रदेश में 28 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है। प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची समय-समय पर निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है जिसे [http://www.hp.gov.in/dhsrhp/Emp\\_List%2008-04-2021.pdf](http://www.hp.gov.in/dhsrhp/Emp_List%2008-04-2021.pdf) और <http://dhsr.hp.gov.in/sites/default/files/Updated%20List%20of%20SWEP%202021.pdf> पर देखा जा सकता है।

### 12. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995:

- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र व राज्य दोनों में नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित है।
- चिकित्सा जिम्मेदारी घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता रहा है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला-09 इस अधिनियम के कार्यान्वयन व नोडल निदेशालय है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम व इसके जटिलता लगाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षा हेतु के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:-

(i) प्राथमिक रोकथाम : मां और बच्चे की देखभाल के उपाए एनआरएचएम द्वारा किए जा रहे हैं।

Total
533
3139
89
776
1537
1751

- (2) **माध्यमिक रोकथाम** : प्रारम्भिक चरण में स्वास्थ्य संस्थानों में कुशल मानव बल (मैन पावर) को प्रतिनियुक्त करके व आधारभूत ढांचे को सृजित करके बीमारी की गति को रोकने व जटिलताओं की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (3) 0-12 वर्ष के बच्चों, जोकि कुल जनसंख्या का 25% है, की स्क्रीनिंग हर साल की जा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप-मण्डल स्तर व स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिल कर विकलांगता शिविरों का आयोजन करें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द से जल्द संदिग्ध मामलों का पता लगाए तथा पता लगने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र विशेषज्ञों के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।
- (4) जिला स्तर पर हर महीने के निर्धारित दिनों में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।
- (5) सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओपीडी में विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर देखते हैं।
- (6) अस्पतालों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप (Ramp) व प्रसाधन (Bath Room) का निर्माण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पहिया कुर्सियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
- (7) विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कई प्रकार की सुविधाओं जैसे कि प्रोस्थेटिक कृत्रिम अंग, सुनने की मशीन, बोलने की चिकित्सा पद्धति और सुधारात्मक सर्जरी आदि की सिफारिश की जा रही है।
- (8) इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व गांव स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा रहा है।
- (9) दुर्घटना उपरान्त पूर्ण रूप से विकलांग होने पर उस संस्थान के डाक्टर जहां रोगी उपचाराधीन है, की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवम् अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के समन्वय से सरकार को भेजा गया है व प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान है। यह सिफारिश की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थान इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी करें, जिसमें चिकित्सक को स्पष्ट रूप से विकलांगता नजर आती हो जैसे कि किसी अंग का बिल्कुल काम न करना या अंगहीन होना इत्यादि।
- (10) प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में विकलांग जन हेतु बाधा रहित रास्ता बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं और भवन निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।
- (11) प्रदेश में सरकार विकलांग के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है।

### 13. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला-09 उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल निदेशालय है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत, राज्य स्तरीय देह दान समिति अधिसूचित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक नेत्र बैंक इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एक-एक Eye Donation Center और RPGMC Tanda में Eye Bank स्थापित किया गया है। तथा इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney Transplant) शुरू हो गया है।

#### 14. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:

प्रदेश में एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम, के अन्तर्गत अमल में लाई गई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा इन प्रकार से है :-

(1) अभी तक जिला शिमला (शहर) व ग्रामीण, हमीरपुर (शहर) तथा जिला सोलन (शहर) व बदौ नालागढ़ (ग्रामीण), के कुछ सरकारी व गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें कि नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान की विस्तृत मशीनरी जैसे एक्सरे, सी-आर्म, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दन्त एक्सरे मशीनों के पंजीकरण हेतु कार्यवाही अमल में लाने बारे सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि उक्त कार्यवाही परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अनिवार्य है।

(2) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की अधिसूचना में इंगित प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों में स्थापित एक्स-रे सी-आर्म, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दन्त एक्स-रे मशीनों की जांच सुचारु रूप से की जा रही है तथा जिन सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों में परमाणु ऊर्जा विकिरण संरक्षण नियम, 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उन्हें उक्त अधिनियम में निर्धारित मापदण्डों जैसे (Registration/ Licence in e-lora under AERB), TLD Badges, Lead Aprun, Thyroid Shield, Mobile Protective Barrier with lead glass, warning Sign Symbol, Warning Red Light, Layour of X-Ray Room और Qualified Radiations workers) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं।

(3) इस निदेशालय द्वारा राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं कि अपने-अपने जिले के सभी सरकारी व निजी संस्थानों जहां पर Radiation Related Equipment स्थापित है कि सूची इस निदेशालय को उपलब्ध करवाएं ताकि इस निदेशालय द्वारा उन संस्थानों में स्थापित मशीनों की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सके।

#### 15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर0टी0आई0 एक्ट 2005) :

सूचना का अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम प्रदान करना नागरिकों के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में जानकारी सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का संविधान और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से सम्बन्धित नागरिकों को जानकारी प्रत्येक राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसी के

कामकाज में दायित्व एसआईसी गठित नियंत्रण संचालन और धन के अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है सरकार और उनकी एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करें।

### अपील अधिकारी व सूचना अधिकारी:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी काम कर रहे हैं:-

अपील अधिकारी : वर्तमान में निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन, हि0प्र0 अपील अधिकारी हैं।

सूचना अधिकारी : वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक, डी.एच.एस.आर. निदेशालय जन सूचना अधिकारी है तथा तीन सहायक औषधि नियंत्रक मण्डी (मण्डी, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, बिलासपुर एवं हमीरपुर), सहायक औषधि नियंत्रक नाहन (सिरमौर, सोलन, शिमला एवं किन्नौर) सहायक औषधि नियंत्रक धर्मशाला (कांगडा, चम्बा एवं ऊना) और सहायक औषधि नियंत्रक ड्रग्स कंट्रोलर बददी में जन सूचना अधिकारी हैं।

प्रगति रिपोर्ट 2020-21.-वर्ष 2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	कुल प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	65
	(क) आवेदक द्वारा	42
	(ख) स्थानांतरण द्वारा	23
2.	कुल आवेदनों का निपटारा	
	(क) जानकारी दी गई	38
	(ख) स्थानांतरीत की गई	26
	(ग) आवेदन अस्वीकार किया गया	1
3.	प्रार्थियों से प्राप्त राशि	रु0 1070/-
4.	सरकारी खजाने में जमा राशि	रु0 1070/-
5.	अपील के मामले	1